संख्या 5 / ग्रा.वि.उ./2002

प्रेषक

संजीव चोपड़ा
सचिव,
उत्तरांचल शासन,

सेवा में,

1. समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
2. समस्त परियोजना निदेशक,
   डी0आर0डी0ए0
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
   उत्तरांचल

ग्राम्य विकास एवं उद्यान विभाग: देहरादून दिनांक 25 जुलाई, 2002

विषय : स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत रूरल पोल्ट्री डेवलेपमेंट मार्केटिंग एण्ड एक्सटेंशन परियोजना का क्रियान्वयन.

महोदय,

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत विशेष परियोजनाओं के रूप में स्वय सहायता समूहों की आय में वृद्धि करने हेतु भारत सरकार द्वारा रूरल पोल्ट्री डेवलेपमेन्ट, मार्केटिंग एण्ड एक्सटेंशन परियोजना, रूपये 920.00 लाख की लागत से स्वीकृत की गई है. इस योजना के अन्तर्गत 3 वर्षों में 64000 स्थापित परिवारों को लाभान्वित कर स्वरोजगार में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है. योजना का क्रियान्वयन ग्राम्य विकास विभाग, पशुपालन विभाग तथा एस.एन.के. सम्मारक (स्वयं सेवी संस्था) के सहयोग से किया जायेगा परियोजना उत्तरांचल के सभी 13 जनपदों में क्रियान्वित की जायेगी.

2. परियोजना का मुख्य उद्देश्य :

गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों को कुक्कुट पालन योजना के माध्यम से स्वरोजगार में स्थापित करने तथा उनका आर्थिक उन्नयन करना है।

3. संक्षिप्त विवरण :

यह योजना प्रदेश के सभी 13 जनपदों में संचालित की जायेगी तथा योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 64000 परिवारों को कुक्कुट पालन योजना के माध्यम से स्वरोजगार में स्थापित कराया जाना है. इन स्वरोजगारियों को कुक्कुट पालन योजना का प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा प्रदेश में स्थापित सदर फार्म से चूजे उपलब्ध करायें जायेंगे. परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश में 2 हैचरी की स्थापना की जायेगी.

4. परियोजना हेतु परिव्यय :

परियोजना हेतु कुल परिव्यय रूपये 920.00 लाख स्वीकृत है. उक्त परिव्यय का 75 प्रतिशत केन्द्रांश के रूप में 25 प्रतिशत राज्यांश के रूप में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा.

परियोजना के अन्तर्गत मदवार विवरण निम्न प्रकार है :

1.	प्रीआपरेटिव कास्ट	15.50 लाख
2.	ब्रीडर फार्म का सुदृढीकरण एवं विस्तार	468.26 लाख
3.	हेचरी का सुदृढीकरण एवं विस्तार	177.74 लाख
4.	प्रसार कार्य	83.00 लाख
5.	प्रशिक्षण हेतु व्यय	17.00 लाख
6.	मार्केटिंग	65.00 लाख
7.	आईपीडीटी	9.10 लाख
8.	परिवर्तनी निधि (रिवाल्विंग फण्ड)	100.00 लाख

5. योजना का क्रियान्वयन

योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम 2 पैरेन्ट फार्म क्रमशः कालसी एवं रूद्रपुर में विकसित किये जायेंगे. इन केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के बाद कैग फार्म से लेयर कुक्कुट लाये जायेंगे, जो इन फार्मों पर रखे जायेंगे. फार्म की देखरेख हेतु 2 पैरेंट फार्म मैनेजर तैनात किये जायेंगे. इस हेतु 2 हैजरी इन्चार्ज तथा 8 प्रसार सम्बन्धक भी योजना के संचालन हेतु तैनात किये जायेंगे. योजना के अंतर्गत प्रथम वर्ष में 7000 परिवारों को, द्वितीय वर्ष में 20,000 तथा तृतीय वर्ष में 37,000 परिवारों को आच्छादित किया जायेंगा. प्रारम्भिक स्तर पर ग्रामीण परिवारों से मदर फार्म खुलवायें जायेंगे इन मदर फार्म की संख्या स्थानीय मांग के आधार पर निश्चित की जायेगी तथा मदर फार्म पर 1500 से 5000 हजार तक एक दिनी चूजे उपलब्ध कराये जायेंगे. मदर फार्म तीन चार सप्ताह तक इन चूजों को पालने के पश्चात उन्हें अनुकूल वातावरण में रखते हुये बिक्री हेतु तैयार करेगी. 21 से 30 दिन के चूजे स्वयं सहायता समूहों के परिवारों को अपूर्ति किये जायेंगे. एक परिवार कम से कम 8–10 चूजे पालेगा. इन चूजों पर अतिरिक्त व्यय करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह चूजे अपना भोजन घर में इस्तेमाल अवशिष्ट अन्न के दानों, बाहर के कीड़े मकोड़ों आदि से प्राप्त करेंगे।

5.2 मॉस प्राप्ति हेतु 45 दिन में ये चूजा लगभग 1 किलोग्राम भार का हो जायेगा जिसे बिक्री कर आय की प्राप्ति सुनिश्चित की जायेगी।

5.3 इस प्रकार ये चूजे जब अण्डे देने लगेंगे तथा अण्डों की बिक्री से भी आय प्राप्ति की जा सकेगी. कुरोईलर मुर्गी आम देशी मुर्गी की तुलना में चार गुना अण्डा ज्यादा देती है। अतः अण्डों से प्राप्त होने वाली आय भी सामान्य मुर्गी से प्राप्त होने वाली आय की अपेक्षा चार गुना अधिक होगी.

6. परियोजना के विशेष बिन्दु :

1. कुरोईलर मुर्गियों में रोग सहन शक्ति होती है.
2. ये मुर्गी ग्राम में खेत व रसोई के अवशिष्ट से अपना खाद्य स्वयं पूरा कर लेती है.
3. यह ग्रामीण महिलाओं के लिए आयवर्द्धक परियोजना है.

4. इस परियोजना के द्वारा महिलाओं की आय में अतिरिक्त वृद्धि होगी.
5. परियोजना में प्रसार कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जायेगा.
6. परियोजना उत्तरांचल के सभी 13 जनपदों में आरम्भ की जायेगी.
7. परियोजना में सघन प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है.

7. परियोजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :

परियोजना का अनुश्रवण एसएनके सम्मारक स्वयं सेवी संस्था द्वारा तैनात प्रसार समन्वयकों के साथ–साथ ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों तथा पी.एम.यू द्वारा किया जायेगा. मूल्यांकन उत्तरांचल सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अधिकृत विशेष समिति अथवा संस्था के माध्यम से कराया जायेगा।

7.2 परियोजना संचालन हेतु समय समय पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा, जिनमें प्रसार कार्यकर्ताओं के साथ साथ विकास विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया जायेगा।

भवदीय

संजीव चोपड़ा
सचिव

पृष्ठांकन /व.ग्रा.वि./2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– परियोजना समन्वयक परियोजना प्रबन्धन इकाई.

2. विशेष कार्याधिकारी पी.एम.यू.
3. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन.
4. सचिव, उद्योग, उत्तरांचल शासन.
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास पौड़ी.

संजीव चोपड़ा
सचिव